Interactive School Engagement Programme –
Question Bank With Answer.

(1) मतदाता सूची से नाम अगर हट गया हो तो उसे दोबारा कैसे लाया जाए ?

उत्तर- प्रपत्र-6 में अपने संबंधित बूथ लेबल ऑफिसर को आवेदन देकर नाम दर्ज कराया जा सकता है।

(2) जिस व्यक्ति की आँखो की रोशनी नही होती वह अपना मत का प्रयोग कैसे करेगा ?

उत्तर- जिन व्यक्ति की आँखो की रोशनी नही होती वैसे व्यक्तियों के लिये एक सहायक व्यक्ति साथ ले जाने की अनुमति निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है अथवा बैलेट युनिट में ब्रेल लिपि सभी बटन के सामने अंकित होती है। जिसके माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

(3) अगर हम बूथ पर जाते हैं तब अगर हमे यह पता लगे कि हमारे नाम पर किसी ने मत का प्रयोग कर लिया है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगें ?

उत्तर- इस प्रकार की स्थिति के लिये टेन्डर वोट की व्यवस्था की गई है। टेन्डर बैलेट पेपर बिल्कुल सामान्य बैलेट पेपर की तरह ही होता है, जिसके पीछे 'टेन्डर बैलेट पेपर' लिखा होता है, जो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्टाम्प या पिठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

(4) जिस व्यक्ति की आँखो की रोशनी नही हो ऐसे में उनके साथ उनका सहयोगी अगर मत डलवाने जाता हो तो उस अंधे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि हमारा मत का सही प्रयोग हो रहा है ?

उत्तर- जिन व्यक्ति की आँखो की रोशनी नही होती वैसे व्यक्तियों के लिये बैलेट युनिट में ब्रेल लिपि सभी बटन के सामने अंकित होती है। जिसके माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

(5) अगर कोई व्यक्ति जिस जगह पर रहता है किसी कारणवश वह दूसरे स्थान पर रहने को चला जाता है, तब मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद क्या वह दोनो स्थानों पर अपना मत का प्रयोग कर सकता है ?

उत्तर- नहीं, एक व्यक्ति दो जगहों पर मत का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह एक दण्डनीय अपराध है।

(6) कुछ लोग कहते है कि वोट के दिन ही दो-तीन बार हमने वोट का प्रयोग किया, क्या ऐसा हो सकता है, अंगुलियों में स्याही के निशान के बावजूद भी ऐसा किया जा सकता है, अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उस व्यक्ति पर कोई कारवाई होगी ?

उत्तर- एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह एक दण्डनीय अपराध है।

(7) लोग अपने मत का अधिकार का महत्व जानते हुए भी इतनी कम प्रतिशत मत का प्रयोग क्यों करते हैं ?

उत्तर- लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता की कमी होने के कारण लोग कम प्रतिशत में मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

(8) मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की न्यूनतम आयु कितनी है ?

उत्तर- मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

(9) विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न किया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, मतदाता सूची में व्याप्त त्रुटियों में सुधार हेतु कौन से प्रपत्र प्रयोग किये जाते हैं ?

उत्तर- मतदाता सूची में
निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन – प्रपत्र-6
किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन – प्रपत्र-6A
निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्टि नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन - प्रपत्र-7
निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन – प्रपत्र-8
निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन - प्रपत्र-8A
में आवेदन दिया जाता है।

(10) NRI (Non Resident Indian) का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु प्रपत्र - 6 का ही प्रयोग किया जाता है या कोई अलग प्रक्रिया है ?

उत्तर- NRI (Non Resident Indian) का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु प्रपत्र - 6'क' में आवेदन दिया जाता है।

(11) क्या शुरू से ही भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी ?

उत्तर- पूर्व में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, जिसे 28 मार्च 1989 से लागू किया गया।

(12) क्या एक व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है ?

उत्तर- R.P. Act, 1950 की धारा 17 एवं 18 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा सकता है।

(13) अगर मैं किसी दूसरे स्थान पर रहने लगा हूँ, तो मेरा नाम पुराने स्थान वाले मतदाता सूची से कैसे हटाया जाये और नये स्थान वाले मतदाता सूची में जोड़ने के लिए क्या किया जाये ?

उत्तर- अगर आप एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दुसरे मतदान केन्द्र में स्थान बदलते हैं तो नये स्थान के मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिये प्रपत्र-8'क' भरें। अगर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थान बदल रहें हैं तो सबसे पहले पूराने विधानसभा क्षेत्र में प्रपत्र-7 भरें एवं नये विधानसभा क्षेत्र में प्रपत्र-6 भरकर संबंधित निर्वाचक निबंधन पदधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करें।

(14) मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। क्या मैं बिना राशन कार्ड के मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकता हूँ ?
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिये कौन-कौन से आवासीय प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है ?

उत्तर- मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिये सिर्फ राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती, राशन कार्ड के अलावा अन्य आवासीय प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाइसेंस आदि देकर भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया जा सकता है।

(15) अगर मेरा फोटो मतदाता पहचान पत्र गुम हो जाये तो मैं इसे पुनः कहां से प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तर- फोटो मतदाता पहचान पत्र गुम हो जाने पर संबंधित निर्वाचक निबंधन पदधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में 25 रूपये जमा कर पुनः फोटो मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।